भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3552

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पतालों द्वारा बिलों की प्रतिपूर्ति

3552. डॉ. मल्लू रविः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के उपचार हेतु केंद्र सरकार द्वारा सीजीएचएस पैनल में शामिल निजी अस्पतालों को प्रतिपूर्ति राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सीजीएचएस पैनल में शामिल निजी अस्पतालों के खिलाफ सरकारी रोगियों/पेंशनभोगियों की तुलना में निजी रोगियों को प्राथमिकता देने के कारण ओपीडी में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के संबंध में प्राप्त हुईं शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिपूर्ति बिलों में दावा किए गए चिकित्सा परीक्षणों और दवाओं के वास्तव में दिए जाने की पुष्टि करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रोगियों या आश्रितों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक वचनबद्धता ली जाती है, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि मरीजों को उपचार और दवाएं मिली हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अस्पताल रोगी की छुट्टी के बाद अप्रयुक्त दवाओं का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें खपत के रूप में बिल में दिखाते हैं, जिससे रोगियों को छुट्टी होने के बाद इलाज के लिए फिर से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(च) क्या निजी अस्पताल बिना छूट दिए दवाओं पर सरकार से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) वसूलते हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्तमान बाजार परिदृश्य के अनुसार उन्हें छूट देने के लिए प्रोत्साहित करके सरकारी खजाने में बचत सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के उपचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीजीएचएस पैनल में शामिल निजी अस्पतालों को प्रतिपूर्ति की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
2019-20	935
2020-21	2,044
2021-22	2,246
2022-23	3,726
2023-24	3,646

सभी स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों (एचसीओ) को सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार/भर्ती करने से मना न करने के निर्देश दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, भर्ती किए गए रोगियों के उपचार के दौरान महंगी दवा के प्रयोग के मामलों में नर्सिंग नोट्स की मांग किए जाने का तंत्र है और इन्हें बिलिंग के साथ क्रॉस-चेक किया जाता है। एचसीओ को निर्धारित मानदंडों के आधार पर एंटीबायोटिक नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है। दिनांक 19.12.2024 को व्यापक कार्यालय ज्ञापन संख्या 5-36/सीजीएचएस(मुख्यालय)/एचईसी2024/2612 जारी किया गया है, जिसमें पैनल में शामिल निजी अस्पतालों को (क) सेवाओं के प्रावधान (ख) बिस्तर की उपलब्धता को दिखाना (ग) पर्चे के मानकों (घ) दवाओं की स्वीकृति (ङ) प्रत्यारोपण/उपकरण विकल्प आदि का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। कार्यालय ज्ञापन की प्रति सीजीएचएस की वेबसाइट अर्थात https://cghs.gov.in/CghsGovIn/faces/ViewPage.xhtml?id=NTYwOA==) पर उपलब्ध है।

*****